



प्रेस विज्ञप्ति

29.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य के एक मामले के संबंध में **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002** के प्रावधानों के तहत **1.11 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक अतनु रॉय के नाम पर **6 अचल संपत्तियां** शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के सीए उत्पल रॉय का 17,35,830/- मूल्य का बैंक बैलेंस भी कुर्क किया गया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोपपत्र संख्या 38/2016 दिनांक 28.09.2016 के आधार पर जांच शुरू की।

मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने निदेशकों अतनु रॉय के माध्यम से और बैंक अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके झूठी और मनगढ़ंत प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्रस्तुत करके आंध्र बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) को 690.42 लाख रुपये और ब्याज के रूप में 1051.51 लाख रुपये (1741.93 लाख रुपये) का धोखा दिया। बैंक से एसओडी सीमा के रूप में प्राप्त धन को बाद में कंपनी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखने वाले असंबंधित खातों में स्थानांतरित/हस्तांतरित/डायवर्ट किया गया और मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक अतनु रॉय के नाम पर नकदी में विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, तत्कालीन आंध्रा बैंक में रखे गए 20 बैंक खातों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.03.2021 को तलाशी ली गई और पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1-ए) के प्रावधानों के तहत 41.06 लाख रुपये (लगभग) की राशि फ्रीज कर दी गई। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोलकाता में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है और उसी के अपराध का संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा 09.12.2022 को पहले ही लिया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।